संख्या - 37/2022/2286/छिहत्तर-1-2022-08सम/2022

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 24 अगस्त, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-5, 15 एवं 16 के संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-197/अ-2-1/014-0001(ग्रामीण)/22, दिनांक 06-05-2022 तथा पत्रांक-701/प्र-1/007/शासन-011/2022/09, दिनांक 28-7-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-5, 15 एवं 16 में संशोधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 को शासन के पत्र संख्या-876-76-1-2022-08 सम/2022 दिनांक 06 मई, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत यथावत् लागू/अंगीकृत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) हेतु नगर विकास अनुभाग-3 के पत्र संख्या-718/9-3-2022-2सी/2021, दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-5 , 15 एवं 16 के वर्तमान में लागू प्राविधानों में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-5 , 15 एवं 16 में वर्तमान में लागू प्राविधानों को संशोधित किये जाने की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

-2-

उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 में वर्तमान प्राविधान	उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 में प्रख्यापित संशोधन
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
भाग तीन-भर्ती	भाग तीन-भर्ती
विनियम-5 में भर्ती का स्रोत (1) विनियम-16, 17 एवं 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी- (क) सहायक अभियन्ता (एक) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या जैसा कि इस विनियमावली के भाग-5 में उपबन्धित है। परन्तु निगम आपात की स्थिति में केवल साक्षात्कार के अधार पर चयन द्वारा भर्ती कर सकता है। टिप्पणी:- सहायक अभियन्ता के रूप में प्रारम्भिक भर्ती केवल अस्थाई पदों के प्रति की जायेगी।	विनियम-5 में भर्ती का स्रोत (क) सहायक अभियन्ता सीधी भर्ती के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जायेगा।
भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया 15(1) जब रिक्तियॉ सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी हो तब निगम समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। (2) यदि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जानी हो तो निगम प्राप्त किये गये आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो सेवा विनियमावली के अधीन भर्ती के लिए पात्र पाये जायें, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का/के दिनांक सूचित करेगा। किसी अभ्यर्थी	15 जब रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी हो तब उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जायेगी।

को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके–पास निगम से कोई प्राधिकारी या प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो। टिप्पणी:- प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पाठ्य विवरण और नियम निगम द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे। (3) निगम अभ्यर्थियों की एक सूची योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रकट हो, तैयार करेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो निगम द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त करे, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों से जोड़ा जायेगा। अभ्यर्थियों की अन्तिम स्थिति उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से अवधारित की जायेगी और तदनुसार सूची बनाई जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा।	
केवल साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया:- 16- यदि भर्ती केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा की जाये तो निगम ऐसे अभ्यर्थियों से जो इस विनियमावली के अधीन भर्ती के लिए पात्र हों, निगम की चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर निगम योग्यता के क्रम में चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा।	16 जब रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी हो तब उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जायेगी।

3- उक्त संशोधन उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) पर लागू होगा।

4- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव